चंपकम दोरायराजन मामला और FR और DPSP का विकासक्रम

प्रिलिम्स के लिये:

चंपकम दोरायराजन मामला, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16(4), प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 15(4), नौवीं अनुसूची, 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971, अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 39(b) और (c), 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

मेन्स के लिये:

मूल अधिकारों (FR) और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (DPSP) और संबंधित न्यायिक निर्णयों के बीच संघर्ष

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

?????? ??????????? ????, 1951 में मौलिक अधिकारों (FR) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच **संघर्ष** का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत हुआ था।

चंपकम दोरायराजन केस, 1951 क्या है?

- **मामले की पृष्ठभूमि:** वर्ष 1948 में, **मद्रास सरकार** ने **सांप्रदायिक साधारण आदेश (GO)** पेश किया, जिसके तहत **जाति** और **धर्म** के आधार पर **शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित** की गईं।
  - सरकार ने अनुच्छेद 46 को उद्धृत किया, जिसके अंतर्गत **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने** का प्रावधान है।
  - मद्रास की एक **महिला चंपकम दोरायराजन** ने समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन बताते हुए इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय (HC) में चुनौती दी।
- **मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय, 1950:** मद्रास उच्च न्यायालय ने **जाति और धर्म** को वर्गीकरण के आधार के रूप में उपयोग करने के कारण सांप्रदायिक सरकारी आदेश को **असंवैधानिक** करार देते हुए रद्द कर दिया और तत्पश्चात् मद्रास सरकार ने **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील की।
- **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, 1951:** सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा तथा सांप्रदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक** घोषित किया।
  - फैसले में कहा गया कि यह **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15(1) (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)** के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **मूल कानून, राज्य पुलिस बलों पर प्रभावी होगा** तथा यह सुनिश्चित किया गया कि **संसद संवैधानिक संशोधनों** के माध्यम से **मूल कानून** में संशोधन कर सकती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव:** इस फैसले ने शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया, क्योंकि संविधान के तहत **केवल सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण** की अनुमति प्रदान की गई थी **(अनुच्छेद 16(4))।**
  - इसके परिणामस्वरूप शिक्षा में आरक्षण बहाल करने के लिये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 पारित किया गया।
- **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951:** सरकार द्वारा अनुच्छेद 15(4) को शामिल करके **अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया**, जिसने राज्य को **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) , अनुसूचित जातियों (SC)** और **अनुसूचित जनजातियों (ST)** की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी।
  - इस संशोधन ने **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिये संवैधानिक** आधार प्रदान किया।

कमज़ोर वर्गों के लिये प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 15(1): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान** के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है ।

- **अनुच्छेद 15(4): SEBC, SC और ST के कल्याण** के लिये **विशेष प्रावधान** करता है, जिससे **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण शामिल है**।
- **अनुच्छेद 16(4)**: **पिछड़े वर्गों** के लिये **सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण** की अनुमति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 17**: **अस्पृश्यता का उन्मूलन** करता है।
- **अनुच्छेद 46** (DPSP): **SC, ST और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक** हितों को बढ़ावा देने का अधिदेश देता है।

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा कौन से प्रावधान संशोधित किये गए?

- **मौलिक अधिकार:**
  - **अनुच्छेद 15(4): SEBC**, **SC** और **ST** के लिये विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई।
  - **अनुच्छेद 19:** स्वतंत्र भाषण पर **उचित प्रतिबंधों का** विस्तार (अनुच्छेद 19(2)), जिसमें **राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों** के लिये उकसावा शामिल है।
    - राज्य **व्यावसायिक योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है** तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के माध्यम से **व्यापार,** कारोबार या उद्योग को विनियमित या राष्ट्रीयकृत कर सकता है।
- **संसद और राज्य विधानमंडल:**
  - **अनुच्छेद 85 और 174:** यह सुनिश्चित किया गया कि दो संसदीय या राज्य विधान सत्रों के बीच का **अंतराल छह महीने से अधिक न हो।**
  - **अनुच्छेद 87 और 176: विधानमंडल में राष्ट्रपति/राज्यपाल का अभिभाषण** अब **प्रत्येक आम चुनाव के बाद केवल एक बार** और **प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की शुरुआत** में अनिवार्य होगा।
- **भूमि सुधार:**
  - **अनुच्छेद 31A: संपदा और संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण** से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के तहत चुनौती दिये जाने से सुरक्षित किया गया।
  - **अनुच्छेद 31B: मौलिक अधिकारों** के संबंध में सूचीबद्ध कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करते हुए **नौवीं अनुसूची** बनाई गई।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: राष्ट्रपति** को प्रत्येक राज्य के लिये **अनुसूचित जाति (अनुच्छेद 341) और अनुसूचित जनजाति (अनुच्छेद 342)** को अलग-अलग निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया।

FR और DPSP के बीच टकराव पर अन्य निर्णय क्या हैं?

- **गोलकनाथ मामला, 1967:** सर्वोच्च न्यायालय ने **चंपकम दोरायराजन** मामले में अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद **मूल अधिकारों में संशोधन नहीं** कर सकती, तथा उनके **पूर्ण संरक्षण** को सुनिश्चित किया।
- **केशवानंद भारती मामला, 1973:**
  - **पृष्ठभूमि: 25 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971** द्वारा **अनुच्छेद 31C** जोड़ा गया, जिसमें **दो प्रमुख प्रावधान थे:**
    - संसाधन वितरण पर DPSP को लागू करने के लिये कानून **(अनुच्छेद 39 (b) और (c))** को **न्यायिक समीक्षा** से संरक्षित किया गया था, भले ही वे **अनुच्छेद 14, 19, या 31** के तहत प्रदान किये गए FR का उल्लंघन करते हों।
    - **अनुच्छेद 39(b) और (c)** को लागू करने के लिये बनाया गया कोई भी कानून **न्यायिक समीक्षा से संरक्षित** था, भले ही वह अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया हो।
  - **निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने **पहले प्रावधान को बरकरार रखा**, तथा यह सुनिश्चित किया कि **अनुच्छेद 39(b) और (c)** को लागू करने वाले कानून **वैध बने रहेंगे,** भले ही वे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में हों।
    - इसने न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 31C के **दूसरे प्रावधान को रद्द** कर दिया।
    - **सर्वोच्च न्यायालय** ने **मूल ढाँचा** की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों को संशोधनों के माध्यम से **बदला या नष्ट नहीं** किया जा सकता है। **उदाहरण के लिये, न्यायिक समीक्षा, संशोधन की सीमित शक्ति** आदि।
- **मिनर्वा मिल्स मामला, 1980:**
  - **पृष्ठभूमि: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा अनुच्छेद द्वारा 31C के संरक्षण को **सभी DPSPs तक विस्तारित** किया गया तथा उन्हें अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत FRs पर प्राथमिकता दी गई।
  - **निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के तहत **अनुच्छेद 31C के विस्तार को निरस्त कर दिया** तथा निर्णय दिया कि संविधान के संतुलन को बनाए रखते हुए **संविधान के मूल अधिकारों एवं राज्य पुलिस बलों** के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन आवश्यक है तथा **राज्य पुलिस बलों द्वारा संविधान के मूल अधिकारों को दरकिनार** नहीं किया जा सकता है।
- **वर्तमान स्थिति: FR को DPSP पर वरीयता** दी जाती है लेकिन संसद अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने के लिये अनुच्छेद 14 एवं 19 में संशोधन कर सकती है।

निष्कर्ष

चंपकम दोराईराजन मामले के तहत **निर्देशक तत्त्वों पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित** की गई, जिससे संविधान संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं पर प्रभाव पड़ा। **गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स सहित बाद के फैसलों में FR और DPSP के बीच संतुलन** को आकार मिला, जिससे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव पर सर्वोच्च न्यायालय के बदलते दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

??????????

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा से संबंधित है? (2020)

(a) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
(b) मौलिक अधिकार
(c) प्रस्तावना
(d) सातवीं अनुसूची

उत्तर: (A)

?????

प्रश्न: "संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है और इसे पूर्ण शक्ति के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के प्रकाश में स्पष्ट कीजिये कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (2019)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/champakam-dorairajan-case-and-evolution-of-frs-and-dpsps